# कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, जयपुर

क्रमांक :–उ0नि0कृ0 (वि0)/स्टोर/2017–18/ 4817–24 दिनांक : 22-12-2017

## –: सीमित निविदा सूचना :–

कार्यालय में विभिन्न शाखाओं/योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबन्धित कार्यो को माह जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक जॉब बेसिस के आधार पर पूर्ण कराया जाना है। समय अवधि को आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है।

उक्त अवधि में इस कार्य हेतु कुल अनुमानित राशि रू एक लाख नब्बे हजार रहेगी। प्रस्तावित कार्यो की कार्यवार कार्यालय में कार्य करने एवं निविदादाता की स्वयं की दुकान पर कार्य करने की सांकेतिक दरें निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार दी जा रही है। कार्यालय में शाखावार निर्देशित कार्यो को पूर्ण कराने के लिए निविदादाता द्वारा समय पर दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा इसके लिए कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्टेशनरी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। निविदादाता की स्वयं की दुकान में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देने की स्थिति में निविदादाता को स्वयं की दुकान में समय से कम्प्यूटर सम्बन्धित कार्यो को पूर्ण करने होगें। दुकान में कार्यो को करने के लिए कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्टेशनरी स्वयं निविदादाता की होगी।

अतः कोई भी श्रम/उद्योग विभाग आदि मे पंजीकृत इच्छुक निविदादाता निम्न निविदा शर्तों के अनुसार सीलबन्द लिफाफे में अपनी दरें निम्न निविदा प्रपत्र में भरकर दिनांक 01.01.2018 को मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त निविदा दरें दिनांक 01.01.2018 मध्यान्ह पश्चात 2 बजे निम्न गठित कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई हो) के समक्ष खोली जायेगी। सशर्त एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नही होगी।

## निविदा प्रपत्र

| क्र. सं. | कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यो का विवरण | सेवा प्रदाता की दर (रूपये में) | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यालय की दरें | निविदादाता की दुकान की दरें |
| 1 | प्रति ए 4 पेज वर्ड में टाईप करना दर<br>i प्रथम पेज टाईप करना<br>ii. प्रति पेज संशोधन उपरान्त दुबारा टाईप करना<br>iii. प्रति पेज प्रिन्ट देना | <br>20<br>4<br>— | <br>20<br>3<br>2 |
| 2 | प्रति ए 4 पेज एक्सल में टाईप करना दर<br>i प्रथम पेज टाईप करना<br>ii. प्रति पेज संशोधन उपरान्त दुबारा टाईप करना<br>iii. प्रति पेज प्रिन्ट देना | <br>23<br>4<br>— | <br>25<br>3<br>2 |
| 3 | प्रति लीगल पेज वर्ड में टाईप करना दर<br>i प्रथम पेज टाईप करना<br>ii. प्रति पेज संशोधन उपरान्त दुबारा टाईप करना<br>iii. प्रति पेज प्रिन्ट देना | <br>25<br>4<br>— | <br>25<br>3<br>2 |
| 4 | प्रति लीगल पेज एक्सल में टाईप करना दर<br>i प्रथम पेज टाईप करना<br>ii. प्रति पेज संशोधन उपरान्त दुबारा टाईप करना<br>iii. प्रति पेज प्रिन्ट देना | <br>27<br>4<br>— | <br>28<br>3<br>2 |
| 5 | एफवीसी, अनुदान, संवेतन एवं अन्य बिल ऑनलाईन करने से संबंधित समस्त कार्य (40 एन्ट्री प्रति बिल तक) दर प्रति बिल | 100 | 100 |

D:\op sharma\op sharma\PRAKASH SHARMA\om prakash sharma

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | एफवीसी, अनुदान, संवेतन एवं अन्य बिल ऑनलाईन करने से संबंधित समस्त कार्य (40 एन्ट्री के बाद प्रति एन्ट्री) दर प्रति एन्ट्री | 1.25 | 1.25 |
| 7 | बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक लाईसेंस से संबंधित कार्य – नया लाईसेंस बनाने एवं पुराने लाईसेंस के रिन्यूवल एवं उसमे पीसी जुडवाने / संशोधन हेतु – | | |
| | i ऑनलाईन प्राप्त आवेदन को एक्नोलिज करना एवं आवेदन को डाउनलोड करना दर प्रति आवेदन | 8 | 8 |
| | iii प्रोसेस करना दर प्रति आवेदन | 3 | 2 |
| | iv ऑनलाईन स्कैन एवं अपलोड करना दर प्रति स्वीकृति / लाईसेंस पेज | 8 | 7 |
| 9 | पॉवर पॉइन्ट परजेन्टेशन दर प्रति स्लाईड | 25 | 25 |

**कमेटी का गठन : –**

1. **उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जयपुर** — **अध्यक्ष**
2. **कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद जयपुर** — **सदस्य**
3. **सहायक लेखाधिकारी कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद जयपुर** — **सदस्य**

**निविदा शर्ते :–**

1. कम्प्यूटर से संबंधित उक्त एक्सल, पावर पॉईन्ट परजेन्टेशन एवं वर्ड आदि के कार्यो का संतोषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. कार्यालय में कार्य कराने की स्थिति में ही कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्टेशनरी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। निविदादाता की स्वयं की दुकान में कार्यो को कराने की स्थिति में कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्टेशनरी आदि स्वयं निविदादाता की होगी। निविदादाता को निर्देशानुसार कार्य कार्यालय या स्वयं की दुकान में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
3. निविदा अवधि में कार्यालय में कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर को भुगतान एवं किसी भी प्रकार की हानि / दुर्घटना आदि की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
4. सेवा प्रदाता कम्पनी / निविदादाता का राज्य सरकार के अधीन सम्बंधित विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
5. कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न पाये जाने पर लम्बित बिल की राशि को राजकीय हित में जब्त करते हुए एग्रीमेन्ट निरस्त किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता / निविदादाता की होगी।
6. सशर्त निविदा दर मान्य नही होगी।
7. निविदा दर में ''समस्त निविदा शर्ते स्वीकार है'' का अंकन होने पर ही मान्य होगी।
8. न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के समय राशि रू 500/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर समस्त निविदा शर्ते टंकित करते हुए मुझे समस्त शर्ते स्वीकार है का अंकन कर प्रस्तुत करना होगा।

9. कार्य निर्धारित अवधि में निर्देशानुसार पूर्ण कराने होगें। विलम्ब की दशा में लम्बित बिल राशि को राजकीय हित में जब्त करते हुए एग्रीमेन्ट निरस्त किया जा सकता है।

(राकेश कुमार पाटनी)
उप निदेशक कृषि (वि0)
जिला परिषद जयपुर

क्रमांक :–उ0नि0कृ0 (वि0)/स्टोर/2017–18/ 4817-24 दिनांक : 22-12-2017

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जयपुर।
2. सूचना पट्ट कार्यालय – संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जयपुर खण्ड तृतीय तल अकादमिक भवन श्याम दुर्गापुरा जयपुर / उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कमरा नं0 303 तृतीय तल अकादमिक भवन श्याम दुर्गापुरा जयपुर / क्षेत्रीय प्रबन्धक, आरएसएससी दुर्गापुरा जयपुर / संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि) राज्य जैव उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर / संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति) –बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर / राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर ।

उप निदेशक कृषि (वि0)
जिला परिषद जयपुर